फर्द अहकाम

बनाम

लय

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
3/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्षों की प्रार्थना पत्र 212 RTA पर बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 RTA स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नियमानुसार कार्यवाही बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	3/2/2025 3/2 03/2/25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 44/2021
निर्णय दिनांक : 03.02.2025

उनवान

1. रामबाबू शर्मा पुत्र सूजा उर्फ घनेश्याम शर्मा,
2. ओमप्रकाश शर्मा पुत्र सूजा उर्फ घनश्याम शर्मा,
   जाति हरियाणा ब्राम्हण निवासी ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल निवासी प्लाट नम्बर 6 गौरख नगर, घाटी करोलान गोनेर रोड, तहसील सांगानेर जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. कल्याण पुत्र धन्ना
2. गोपाल पुत्र लादू
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामकिशोर
   जाति हरियाण ब्राम्हण, निवासी ग्राम गोविन्दपुर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. उप पंजीयक सांगानेर प्रथम तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
6. विकास भवन निर्माण सहकारी समिति लि. रजि. 2071/एल, जरिये अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, कार्यालय गोरधन चेम्बर, टोल टेक्स, बम्बाला पुलिया, सांगानेर जिलय जयपुर
7. रामफूल पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण,
8. भंवरलाल पुत्र स्व. लक्ष्मीनारायण,
9. अजय शर्मा पुत्र हुकमचंद शर्मा,
10. संजय शर्मा पुत्र हुकमचन्द शर्मा,
11. प्रभू पुत्र लादू
12. भगवानसहाय पुत्र लादू
    समस्त जाति–हरियाणा ब्राह्मण, निवासीगण कठोतिया की ढाणी, 36 दुकान वाले, शिक्षा सागर कॉलोनी, ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने उक्त उनवानी वाद मान्य अदालत हाजा में ठोस तथ्यों एव सबूतो के आधार पर पेश कर दिया है जिसमें सफलता की पूर्ण आशा है। प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 बजमाने बुजुर्गान से ग्राम गोविंदपुरा वारा बम्बाला, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर के बाशिन्दे है एवं पक्षकारान की कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी एवं अविभाजित कृषि भुमि वाके ग्राम–गोविन्दपुरा, पटवार हल्का एवं गिरदावर सर्किल शिकारपुरा, तहसील –सांगानेर में स्थित है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की पुश्तैनी एवं पैतृक सम्पति कृषि भूमि साविक खसरा नंबर 216 रकबा 3 बीघा 16

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

बिस्वा एवं खसरा नंबर 217 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा भूमि ग्राम–गोविन्दपुरा बास बम्बाला, तहसील–सांगानेर में स्थित है। जिसके गत भू–प्रबंध कार्यवाही में नये खसरा नंबर 387 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नंबर 388 रकबा 0.63 हैक्टेयर, 389 रकबा 0.74 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 2.02 हैक्टेयर बनाये गये है। जिसे वाद–पत्र में आगे "वादग्रस्त भूमि" शब्द में संबोधित किया जावेगा। उक्त वादग्रस्त भूमि के खातेदार कन्हैयालाल व सूजा पि. मूलचन्द कौम–हरियाणा ब्राह्मण, साकिन देह संवत् 2015 से 2034 खतौनी बन्दोबस्त मे दर्ज रही हैं। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में आज तक विरासत के अनुसार हिस्सा 1/2–1/2 अंकित चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 मौके पर मनबॅट से काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के पिता अपने व्यवसाय कार्य हेतु जयपुर में रहते थे। समय–समय पर उक्त वादग्रस्त सम्पति में निहित हिस्से की सार सभाल व सीर–साझा पर काश्त कराते आ रहे है। प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के पिता ने अपने हिस्से की भूमि का ना तो कभी किसी को बेचान किया है ना प्रार्थीगण ने किया है। अप्रार्थीगण उक्त अविभाजित भूमि को खुर्द–बुर्द करने एवं अकृषि भूमि में तब्दील करने की नापाक कोशिश कर रहे है। जिससे प्रार्थीगण को यह अधिकार है कि वे अपने हक हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन करवा सके। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को उक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन के लिए दिनांक 20.03.2021 को कहा तो अप्रार्थीगण ने विभाजन के लिए कतई मना कर दिया तथा धमकी दी कि हम अप्रार्थी संख्या 6 से मिलकर वादग्रस्त भूमि में पुख्ता निर्माण करायेगें तथा मूल्यवान भाग विशिष्ट भू–भाग पर मकान बनायेगें। जिससे वादकारण उत्पन्न होकर दावा तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना लाजिमी हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 व 6 ने आपराधिक षडयन्त्र रचकर कूटरचित दस्तावेज बनाकर प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि को हडपने की गरज से तथा लाठी व धनबल के आधार पर वादग्रस्त भूमि को खुर्द–बुर्द व अकृषि भूमि में परिवर्तित करने की धमकी देते है। अप्रार्थी संख्या 6 ने फर्जी दस्तावेजात् अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 से बसाज कूटरचना कर वादग्रस्त भूमि पर जबरन पुख्ता अतिक्रमण कराने पर उतारू है। जबकि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी व अविभाजित भूमि है, जिसके प्रार्थीगण रिकॉर्डेड सहखातेदार है। जिससे वादकारण उत्पन्न होने से वाद एवं प्रार्थना–पत्र अविलम्ब पेश करना आवश्यक हुआ। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार एवं बहैसियत स्वामी काबिज काश्त है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है जिसका उपयोग–उपभोग करने एवं समस्त मालिकाना हक अधिकार प्रार्थीगण को प्राप्त है, जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। यदि अप्रार्थीगण मिन प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि पर एवं विशिष्ठ भू–भाग पर पुख्ता निर्माण कर लेगे या विशिष्ठ भू–भाग का बेचान कर देगें तो प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्णनीय क्षति कास्ति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी एवं मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स में बढोतरी होगी तथा प्रार्थीगण को हमेशा–हमेशा के लिए अपने हक हिस्से की भूमि से वंचित हो जायेगें। जिससे प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द कराने के कानूनन हक अधिकारी है। अतः प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पावन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त भूमि हाल खसरा

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

नंबर 387 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नंबर 388 रकबा 0.63 हैक्टेयर, 389 रकबा 0.74 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 2.02 हैक्टेयर वाके ग्राम गोविन्दपुरा, पटवार हल्का–शिकारपुरा, भू–अभि. नि.क्षेत्र–शिकारपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर में प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि के उपयोग–उपभोग में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी, बेजामजाहमत, अवैध निर्माण न करे जबरन बेदखल न स्वंय करे ना अन्य किसी से करावे तथा प्रार्थीगण के हक–हिस्से की भूमि का बेचान, हस्तान्तरण, बय, बक्शीश न करे ना करावे तथा राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से अधिवक्ता नन्दसिंह उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 व 5 बावजूद डॉक रजिस्टरर्ड तामिल सूचना अनुपस्थित। दिनांक 10.09.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 व 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी पेश किया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी संख्या 3 की मृत्यु होने से दिनांक 24.09.2024 को नाम हजफ किया गया। संशोधित उनवान पेश किया जो शामिल मिसल है।

बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या एक लगायत चार के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नंबर 387 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नंबर 388 रकबा 0.63 हैक्टेयर, 389 रकबा 0.74 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 2.02 हैक्टेयर वाके ग्राम गोविन्दपुरा, पटवार हल्का–शिकारपुरा, भू–अभि.नि. क्षेत्र–शिकारपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर में प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि के उपयोग–उपभोग में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी, बेजामजाहमत, अवैध निर्माण न करे जबरन बेदखल न स्वंय करे ना अन्य किसी से करावे तथा प्रार्थीगण के हक–हिस्से की भूमि का बेचान, हस्तान्तरण, बय, बक्शीश न करे ना करावे तथा राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन करने व वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन करने पर हम इस निकर्ष पर पहुचे है कि प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला वादग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 व 7 लगायत 12 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की अविभाजित संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका आज तक कोई विधिवत विभाजन नही हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमावन्दी प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 व 7 लगायत 12 की संयुक्त खातेदारी दर्ज है, अप्रार्थी संख्या एक लगायत दो द्वारा कोई खण्डन नही किया गया कि जबकि उक्त वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार माना है और उक्त वादग्रस्त आराजी का विधिवत तकासमा आज दिनांक तक नही हुआ है इस तथ्य को भी स्वीकार किया है एवं सभी सहखातेदार अपनी सहुलियत के हिसाब से वादग्रस्त सम्पति पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 व 7 लगायत 12 की संयुक्त खातेदारी दर्ज है, बिना विधिवत विभाजन करवाये किसी भी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार द्वारा विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य कर लिया गया या विशिष्ट भू–भाग का विक्रय कर दिया गया तो वादों की बहुलता बढेगी एवं प्रार्थी को ही अधिक असुविधा होगी तथा अपूर्णनीय क्षति भी प्रार्थी व अप्रार्थीगण को होगी। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर दिनांक 31.03.2021 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद उभयपक्षों को पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नंबर 387 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नंबर 388 रकबा 0.63 हैक्टेयर, 389 रकबा 0.74 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 2.02 हैक्टेयर वाके ग्राम गोविन्दपुरा, पटवार हल्का–शिकारपुरा, भू–अभि.नि.क्षेत्र–शिकारपुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर में राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे, ना ही किसी प्रकार कच्चा–पक्का निर्माण कार्य करें। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर